



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44287

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7959/2026

श्याम जी

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कन्हैया लाल चौहान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील मधुबन, जिला मऊ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209(एच) के तहत बहाली आवेदन/मामला संख्या टी202515510302475 (श्यामजी बनाम राजदेव) पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 - तहसीलदार, तहसील मधुबन, जिला मऊ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में दायर बहाली आवेदन पर कानून के अनुसार, शीघ्रता से

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं

किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।